Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 56: Interest on delayed refunds

If any tax ordered to be refunded under sub-section (5) of section 54 to any applicant is not refunded within sixty days from the date of receipt of application under sub-section (1) of that section, interest at such rate not exceeding six per cent. as may be specified in the notification issued by the Government on the recommendations of the Council shall be payable in respect of such refund ¹[for the period of delay beyond sixty days from the date of receipt of such application till the date of refund of such tax, to be computed in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed:]

Provided that where any claim of refund arises from an order passed by an adjudicating authority or Appellate Authority or Appellate Tribunal or court which has attained finality and the same is not refunded within sixty days from the date of receipt of application filed consequent to such order, interest at such rate not exceeding nine per cent. as may be notified by the Government on the recommendations of the Council shall be payable in respect of such refund from the date immediately after the expiry of sixty days from the date of receipt of application till the date of refund.

Explanation—For the purposes of this section, where any order of refund is made by an Appellate Authority, Appellate Tribunal or any court against an order of the proper officer under sub-section (5) of section 54, the order passed by the Appellate Authority, Appellate Tribunal or by the court shall be deemed to be an order passed under the said sub-section (5).

¹ Substituted for "from the date immediately after the expiry of sixty days from the date of receipt of application under the said sub-section till the date of refund of such tax" by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified.

धारा 56 : विलंबित प्रतिदायों पर ब्याज

यदि किसी आवेदक को धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन किसी कर के प्रतिदाय का आदेश किया गया है और उस धारा की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर उसका प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली छह प्रतिशत् से अनिधक की दर पर उक्त उपधारा के अधीन ¹[ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, तथा ऐसी रीति में संगणित किये जाने वाले, ऐसे आवेदन के प्राप्ति की तारिख से ऐसे कर के प्रतिदाय की तारिख तक, साठ दिन से परे विलंब की ऐसी अविध के लिये] ब्याज संदेय होगा]:

परन्तु जहां प्रतिदाय के लिए कोई दावा किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित किसी ऐसे आदेश, जो अंतिम आदेश हो गया है, से उद्भूत होता है और उसका ऐसे आदेश के परिणामस्वरूप फाइल किए गए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर प्रतिदाय नहीं किया जाता है, वहां परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली नौ प्रतिशत् से अनधिक ऐसी दर पर आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के ठीक पश्चात्वर्ती तारीख से ऐसा प्रतिदाय करने की तारीख तक ब्याज संदेय होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए जहां किसी अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के द्वारा धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन समुचित अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध प्रतिदाय का आदेश किया जाता है, वहां अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उक्त उपधारा (5) के अधीन पारित आदेश माना जाएगा।

¹ वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा "आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।